श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 20.12.2019 को मंथन सभागार में आयोजित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के तहत नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री राजीव भरतरी, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. श्रीमती रंजना काला, नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण।
3. श्री डी0जी0के0 शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी।
4. श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन।
5. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एस0पी0 तिवारी, अनुसचिव, प्रतिनिधि–अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन, प्रतिनिधि–अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
8. सुश्री महिमा, संयुक्त सचिव, कृषि, प्रतिनिधि–अपर सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री प्रेम प्रकाश, अनुसचिव, राजस्व, प्रतिनिधि–अपर सचिव–राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री जितेन्द्र कुमार, डी0पी0आर0ओ0, प्रतिनिधि–अपर सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
11. श्री कवीन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रतिनिधि–अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
12. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि।
13. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विशेष आमंत्री

1. श्री पी0के0 पात्रो, निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ बैठक प्रारम्भ की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पूर्व में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा की स्थापना व इसकी पृष्ठभूमि तथा CAF Act, 2016

के प्राविधानों के तहत नवगठित उत्तराखण्ड कैम्पा एवं इसके अंतर्गत की गई अब तक की कार्यवाही से सदस्यों को अवगत कराया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस बैठक में मुख्यतः वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना के निरूपण के बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जानी है। CAF Act, 2016 के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के स्तर से अधिसूचित CAF Rules, 2018 के नियम–36 के प्राविधानों के अनुसार कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति से अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक कार्ययोजना को भारत सरकार को अन्तिम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना है।

मुख्य सचिव के निर्देशानुसार संचालन समिति की बैठक दिनांक 03.01.2020 को प्रस्तावित है एवं संचालन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात उक्त कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 3.1:

दिनांक 30.09.2019 को सम्पन्न हुई द्वितीय कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 30.09.2019 को आयोजित कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 3.2: वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि व उसके सापेक्ष प्रगति :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ₹ 20310.20 लाख के सापेक्ष दिनांक 19.12.2019 तक अवमुक्त धनराशि ₹ 13492.92 लाख एवं क्रियान्व्यन अभिकरणों द्वारा अभी तक किए गये ₹ 4128.92 लाख के व्यय की प्रगति (31 प्रतिशत) से समिति को अवगत कराया गया। दिनांक 19.12.2019 की स्थिति के अनुसार घटकवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

धनराशि लाख ₹ में

	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	कुल योग
कार्ययोजना का आकार	4500.00	1800.00	13210.21	800.00	20310.21
अवमुक्त धनराशि	3626.81	1719.84	7506.56	639.71	13492.92
व्यय *	1160.63	949.35	1722.28	296.66	4128.92
व्यय %	**32**	**55**	**23**	**46**	**31**

सदस्यगणों द्वारा व्यय की संतोषजनक प्रगति न होने पर चिन्ता व्यक्त की गई। अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि भविष्य में वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण/आकार व्यवहारिक एवं वास्तविक किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किया जाए। अनावश्यक रूप से वार्षिक कार्ययोजना का आकार न बढ़ाया जाए, क्योंकि क्षेत्र में कार्य कराते समय प्रभागीय कार्यालयों की कार्यक्षमता को भी ध्यान में रखना होगा।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 3.3: क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से प्रभागों को वर्षवार आवंटित भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि व अन्तर की स्थिति :

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा की स्थापना से वर्तमान तक (दिनांक 19.12.2019 की एम0आई0एस0 प्रविष्टि अनुसार) कुल 26808.50 है0 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 22257.6 है0 भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है–

वर्ष	भौतिक प्राप्ति (है0)
2011-2012	3843.43
2012-2013	438.77
2013-2014	2696.25
2014-2015	2077.91
2015-2016	1245.24
2016-2017	2886.00

वर्ष	भौतिक प्राप्ति (हे0)
2017-2018	3474.21
2018-2019	2714.79
2019-2020	2881.00
योग	**22257.60**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2019–20 हेतु क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत अग्रिम मृदा कार्य हेतु 3500 है0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके लिए सम्बन्धित वन प्रभागों को उनके क्षेत्र में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों एवं उसके सापेक्ष किए जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के लम्बित प्रकरणों की सूची प्रेषित करते हुए उन्हें वर्ष 2019–20 हेतु अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्य आवंटित किए गये थे। किन्तु प्रभागों द्वारा इसके सापेक्ष कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं।

समिति को अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा भी इसको गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित वन प्रभागों/वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सम्बन्धी नोडल प्रभागों को यथाशीघ्र लक्ष्यों को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इसकी समानान्तर मॉनीटरिंग भारत सरकार व मा0 उच्चतम न्यायालय के स्तर से भी की जा रही है एवं उनके स्तर से भी क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण के अवशेष भौतिक लक्ष्यों को 2 वर्षों के अंतर्गत पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

क्षतिपूरक वनीकरण के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा भी वर्ष 2000 से वर्तमान तक के वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित प्रकरणों के अंतर्गत किए जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के कार्यों, उसके सापेक्ष अद्यतन प्रगति व क्षतिपूरक वनीकरण के अवशेष बैकलॉग की सूचना/विवरण शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गये हैं। इस क्रम में भारत सरकार को वर्ष 2009 से वर्ष 2019–20 तक की सूचना निर्धारित प्रारूप में तैयार कर उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2000 से 2009 तक की प्रकरणवार सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जानी शेष है। उत्तराखण्ड में वर्ष 1980 से वर्ष 2000 तक के प्रकरणों में अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है। अतः इन क्षेत्रों का उक्त अवधि का मिलान किया जाना शेष है। प्रगति से सदस्यगणों को अवगत कराया जाएगा।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 3.4: कैम्पा स्थापना से वर्तमान तक कैट प्लानवार प्रगति :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत संचालित विभिन्न कैट प्लानों के अंतर्गत कैम्पा स्थापना से वर्ष 2018–19 तक (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति) अवमुक्त ₹ 8327.36 लाख की धनराशि व उसके सापेक्ष ₹ 6873.07 लाख के व्यय की प्रगति से अवगत कराया गया। साथ ही वर्ष 2019–20 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत कैट प्लानों हेतु अवमुक्त ₹ 10047.20 लाख की धनराशि एवं उसके सापेक्ष दिनांक 19.12.2019 तक किए गये ₹ 7719.39 लाख के व्यय की प्रगति से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया, जिसका कैटप्लानवार विवरण निम्नानुसार है :–

(amount in lakh)

CAT PLAN	TOTAL UPTO 31 March 2019		2019-20 (as on 19th Dec 2019)				CUMMULATIVE TOTAL UPTO 19th-DEC-2019		
	RELEASED	EXP	APO	RELEASED	EXP	% Against Release	RELEASED	EXP	Overall Progress %
CAT Tapovan – Vishnugad (2013-14)	2537.11	1921.42	172.21	172.21	144.71	84	2709.32	2066.13	76
CAT Lata -Tapovan (2012-13)	844.88	722.03	22.97	22.97	15.49	67	867.85	737.52	85
CAT Singoli-Bhatwari (2013-14)	631.57	540.44	4.35	4.35	1.28	29	635.92	541.72	85
CAT Phatta-Byung (2012-13)	519.44	412.65	23.95	23.95	6.13	26	543.39	418.78	77
CAT Srinagar H.EP. (2012-13)	1738.14	1523.66	56.17	56.17	41.58	74	1794.31	1565.24	87
CAT Vyasi H.EP. (2014-15)	136.65	78.71	250.76	250.76	7.92	3	387.41	86.63	22
CAT Lakhwar H.EP. (2015-16)	454.00	355.51	675.22	605.15	312.79	52	1059.15	668.30	63
Vishnugad-Pipalkoti H.EP. (2015-16)	1322.02	1233.07	470.56	460.48	400.31	87	1782.50	1633.38	92
CAT Byundar Ganga H.EP. (2013-14)	7.57	6.17	0.00	0.00	0.00	0	7.57	6.17	82
MORI NAITWAR HEP (2019-20)	0.00	0.00	68.21	68.20	8.05	12	68.20	8.05	12
CAT PMU.	135.98	79.41	55.60	55.60	11.10	20	191.58	90.51	47
GRAND TOTAL	**8327.36**	**6873.07**	**1800.00**	**1719.84**	**949.36**	**55**	**10047.20**	**7822.43**	**78**

सदस्यों द्वारा कैट प्लान के अंतर्गत किए जाने वाले महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे–आजीविका, चारागाह विकास, वृक्षारोपण इत्यादि के दृष्टिगत व्यय की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्व में कैट प्लान की डी0पी0आर0 पूर्ण रूप से तैयार न होने के कारण प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर से अनुमोदित नहीं हो पाई थी एवं क्षेत्र में फ्रन्ट लाइन स्टाफ की भी भारी कमी के दृष्टिगत कैट प्लान के क्रियान्व्यन में कठिनाईयां आई हैं। वर्तमान में अधिकांश कैट प्लानों की डी0पी0आर0 अनुमोदित की जा चुकी है। वन विभाग में फ्रन्ट लाइन स्टाफ एवं वनाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। अतः उक्त कार्यवाहियां पूर्ण होने के उपरान्त, आगे कैट प्लान के कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करने की दिशा में सुधार आएगा।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में कैट प्लानों की डी0पी0आर0 तैयार होने में हुए विलम्ब व परियोजना का प्रारम्भ विलम्ब से होने के फलस्वरूप परियोजना अवधि को तद्नुसार 2–3 वर्ष बढ़ाए जाने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं एवं प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के स्तर से कार्यवाही की जाए व तद्नुसार भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय। तद्नुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को भी संशोधित कर लिया जाए, जिसे वे औचित्यपूर्ण व व्यवहारिक हो सकें व इन लक्ष्यों को फील्ड में भी पूरी तरह प्राप्त किया जा सके।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 3.5: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जोनल स्तरों से कुल **₹ 25594.00** लाख की कार्ययोजना प्राप्त हुई है। प्राप्त कार्ययोजना का घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	कैट प्लान	कुल योग (लाख ₹ में)
12488	1469	3338	1989	6310	25594

उक्त के अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत CAF Rules 2018 के नियम 6(A) व 6(B) के अंतर्गत कैम्पा कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन, भत्ते एवं कैम्पा प्रबन्धन व्यय तथा अनुसूचित दरों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान एवं वन्य जीव प्रबन्धन हेतु **₹ 1000 लाख** की धनराशि प्राविधानित की जा रही है।

समिति को तद्नुसार CAF Rules, 2018 के निर्धारित प्राविधानों अनुसार वर्ष 2020–21 के अंतर्गत एन0पी0वी0 की 80 प्रतिशत व 20 प्रतिशत के अंतर्गत अनुमन्य गतिविधियों की सूची व कार्ययोजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्राविधानों से भी अवगत कराया गया।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों पर समिति के सदस्यों द्वारा एक–एक कर घटकवार चर्चा की गई, जिसमें चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(क) कैम्पा का मुख्य दायित्व क्षतिपूरक वनीकरण सम्बन्धी गतिविधियों को सम्पादित किया जाना है एवं इस हेतु ही प्रभागों द्वारा समुचित मांग/प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जा रहा है। इसको समिति द्वारा गम्भीरता से लिया गया एवं इसमें निर्णय लिया गया कि लक्ष्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने के दृष्टिगत **क्षतिपूरक वनीकरण हेतु क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित मात्र 1100 है0 के लक्ष्यों को बढ़ाते हुए वर्ष 2020–21 हेतु कुल 3500 है0** के भौतिक लक्ष्यों को वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष प्रभागवार आवंटन किया जाए। इसके लिए **कुल ₹ 5575.00 लाख की धनराशि** प्रस्तावित किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।

(ख) वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत विभिन्न कैट प्लानों हेतु प्रस्तावित कुल ₹ 6310.00 लाख के प्रस्तावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त समिति के सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि कैट प्लान के अंतर्गत उपरोक्त धनराशि के प्राविधानित किए जाने से पूर्व इनसे सम्बन्धित वन प्रभागों के द्वारा पूर्व में किए गए व्यय की क्षमता का भी आकलन कर लिया जाए। कतिपय वन प्रभागों के मामलों में यह भी प्रकाश में आया कि कैट प्लान से सम्बन्धित इन वन प्रभागों की कैट प्लान के अतिरिक्त अन्य मदों में लगभग ₹ 58 करोड़ की मांग है। इस प्रकार कतिपय प्रभागों में प्रत्येक प्रभाग में 8–10 करोड़ अथवा अधिक की धनराशि प्रस्तावित की गई है। धनराशि का समुचित उपयोग/आवंटन प्रतीत नहीं होता है, जिसमें कई प्रभागों के स्तर पर कार्य की अधिकता होगी, वहीं दूसरी ओर कुछ वन प्रभाग कार्यों से वंचित तथा कई वन प्रभागों में समुचित क्षमता व संसाधन के उपरान्त भी कार्यों की न्यूनता रहेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है, अतः विभिन्न कैट प्लानों हेतु प्रस्तावित ₹ 6310.00 लाख की धनराशि का आकार सीमित करते हुए समस्त कैट प्लानों हेतु निम्नानुसार **₹ 3000.00 लाख** की धनराशि प्राविधानित किए जाने हेतु निर्णय लिया गया :–

(amount in lakh)

CAT PLAN	APO Proposed 2020-21		Recommended by Exe. Comm. 2020-21	
	Physical	Financial	Physical	Financial
CAT Tapovan –Vishnugad	LS	850.00	LS	3000.00
CAT Lata -Tapovan	LS	354.00	LS	
CAT Singoli-Bhatwari	LS	669.00	LS	
CAT Phatta-Byung	LS	502.00	LS	
CAT Srinagar H.EP.	LS	427.00	LS	
CAT Vyasi H.EP.	LS	687.00	LS	
CAT Lakhwar H.EP.	LS	1669.00	LS	
CAT Vishnugad-Pipalkoti H.EP.	LS	1093.00	LS	
CAT PMU.	LS	61.00	LS	
GRAND TOTAL		**6310.00**	**1800.00**	**3000.00**

समिति द्वारा उक्त धनराशि का प्राविधान इस आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया कि जिस कैट प्लान हेतु 3–5 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है, उनके लिए उतनी ही धनराशि एवं जिन कैट प्लानों में इससे अधिक धनराशि प्रस्तावित की गई है, उनमें अनुपातिक रूप से कुल प्राविधानित सीमा के अंतर्गत धनराशि का प्राविधान किया जाय।

प्रमुख वन संरक्षक एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिए गये कि जिन प्रभागों में कैट प्लान गतिमान हैं, उनमें कैम्पा के अंतर्गत अन्य गतिविधियों को प्रभाग की क्षमता के आधार पर प्राविधानित किया जाय तथा विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी ऐसे वन प्रभागों को ध्यान में रखकर आवंटन किया जाय। **जिन वन प्रभागों में कैट प्लान गतिमान हैं, वहां क्षतिपूरक वनीकरण एवं अन्य स्थल विशिष्ट कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु आवंटन न किया जाय, जिससे कैट प्लान को पूर्ण कराने पर समुचित ध्यान केन्द्रित हो सके।**

(ग) समिति को अवगत कराया गया कि **वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण मद में** वर्ष 2019–20 के अंतर्गत प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर अवमुक्त की गई कुल ₹ 793.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष दिनांक 19.12.2019 तक मात्र ₹ 282.00 लाख की धनराशि व्यय हुई है। व्यय की अत्यन्त न्यून प्रगति को देखते हुए समिति द्वारा **वर्ष 2020–21 हेतु** इस मद में

प्रस्तावित कुल ₹ 1469.00 लाख के स्थान पर ₹ **1000.00 लाख की धनराशि प्राविधानित किये जाने का निर्णय लिया गया (वन पंचायतों में वनाग्नि सुरक्षा प्रबन्धन हेतु ₹ 200.00 लाख तथा पंचायती वनों के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 800.00 लाख की धनराशि)।**

वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना के अंतर्गत **लगभग 4700 वन पंचायतों** में (वनाग्नि प्रबन्धन गतिविधि से सम्बन्धित वन पंचायतों सहित) प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:–

(in Rs lakh)

S.No	Activity(s)	Unit	Physical Targets
1	**Strengthening of Van Panchayats**		
	Plantation		
	ASW	Ha	790
	Plantation	Ha	530
	Maintenance	Ha	220.5
	Pasture Development		
	Plantation	Ha	206.5
	Maintenance-1 Yr	Ha	783
	ANR		
	Silvicultural Works -1 Yr	Ha	97
	Nursery		
	Nursery Raising	Plants	327503
	Maintenance	Plants	150000
	Construction of water Harvesting structures (Chal-Khal, Chackdam, Percolation pit, water tank etc)	Nos	216
	Strengthening		
	a. Administrative support, . Capacity Building / Workshops and Exposure Visits	LS	LS
	b. Preparation of Composite Plans & Microplan	Nos	182
	c. Public Information & Awareness	LS	LS
	Forest Fire Control		
	b. Community based forest fire control	Nos	4000 VPs
	Other misc. works(survey & demarcation, boundary pillars & management of invasive species in VPs)	LS	LS

समिति द्वारा उपरोक्त पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का मुख्य उद्देश्य पंचायती वनों एवं वहां के स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है, अतः इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियों में रोजगारपरक कार्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 के अंतर्गत प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के स्तर से मानव–वन्यजीव संघर्ष निवारण के दृष्टिगत विभिन्न ई0डी0सी0 (ईको डेवलेपमेन्ट कमेटीज)/पैट्रोलिंग स्क्वायड हेतु कुल ₹ 862.00 लाख के प्रस्ताव पर भी समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव की मूल भावना, जिसमें ग्रामवासियों को वन्यजीव संरक्षण से जोड़े जाने के दृष्टिगत सराहना की गई। किन्तु समिति द्वारा यह बिन्दु भी उठाया गया कि उक्त प्रस्ताव का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि इसके अंतर्गत कौन–कौन सी गतिविधियां सम्पादित की जाएंगी व क्या ये गतिविधियां कैम्पा के मानकों के अनुरूप होंगी ? इस हेतु समिति द्वारा इसका भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से की गई।

ऐसे में इतनी भारी धनराशि के प्राविधान का औचित्य समिति के समक्ष स्पष्ट न होने की स्थिति में समिति द्वारा इस मद में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के स्तर से इस सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण प्राप्त होने की प्रत्याशा में वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 में प्रारम्भिक रूप से **₹ 300.00 लाख** की धनराशि प्राविधानित किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य हित में निम्नानुसार विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु भी वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत धनराशि का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित किया गया :–

- नदियों का पुनर्जीवन मद के **अंतर्गत कोसी, शिप्रा, खोह एवं अन्य नदियों के पुनर्जीवन हेतु ₹ 1000.00 लाख** का प्राविधान करते हुए मृदा एवं जल संरक्षण मद के अंतर्गत **₹ 2100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।**
- **कुंभ मेला** के दौरान मानव–वन्यजीव संघर्ष के निवारण हेतु हाथियों की रेडियो कॉलोरिंग के माध्यम से हाथियों की निगरानी, इलेक्ट्रिक फेन्सिंग, पैट्रोलिंग एवं जागरूकता आदि हेतु **₹ 250.00 लाख** का प्राविधान।
- प्रदेश में **City Forest हेतु ₹ 100.00 लाख** का प्राविधान।
- प्रदेश के अंतर्गत अतिक्रमण की घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत वन भूमि की सम्पूर्ण बाउण्ड्री डिजीटाइजेशन किए जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में वन क्षेत्रों में DGPS **सर्वे एवं डिमार्केशन हेतु** ₹ **200.00 लाख** का प्राविधान।

- केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के दृष्टिगत नर्सरी स्थापना (यथा–ब्रह्म कमल प्रजाति) हेतु **₹ 50.00 लाख** का प्राविधान।

- भारत सरकार द्वारा **नमामि गंगे परियोजना** हेतु धनराशि का प्राविधान किये जाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2019–20 के अनुसार, वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भी मुख्य वन संरक्षक/परियोजना निदेशक, नमामि गंगे द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत विभिन्न वानिकी गतिविधियों को सम्पादित करने हेतु कुल ₹ 2964.30 लाख का प्रस्ताव उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

  समिति द्वारा इस पर विस्तृत चर्चा की गई। सदस्यों ने यह बिन्दु उठाया कि CAF Rules, 2018 के नियम 5 के उपनियम 4 (झ) अनुसार कैम्पा के अंतर्गत निर्दिष्ट रकम का उपयोग **"ऐसी स्कीमों के प्रतिपूरक कार्यों अथवा बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए स्कीमों के आंशिक रूप से वित्त पोषण के प्रयोजन के लिए सरकार की अन्य स्कीमों के अधीन किये गये वन और वन्यजीव संरक्षण और कार्यकलापों को करने के लिए नहीं"** किये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। इस आधार पर समिति द्वारा नमामि गंगे के उक्त प्रस्तावों का प्राविधान उत्तराखण्ड कैम्पा से किए जाने पर असहमति व्यक्त की गई। किन्तु भारत सरकार द्वारा धनराशि के अभाव में कार्यों की गति प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना में नमामि गंगे के अंतर्गत वानिकी सम्बन्धी गतिविधियों हेतु कुल **₹ 2000.00 लाख** की धनराशि इस शर्त के साथ प्राविधानित किये जाने का निर्णय लिया गया कि उक्त धनराशि भारत सरकार से मुख्य वन संरक्षक/परियोजना निदेशक, नमामि गंगे परियोजना को प्राप्त होने पर उनके स्तर से इसकी प्रतिपूर्ति उत्तराखण्ड कैम्पा को कर दी जाएगी।

इस प्रकार कार्यकारी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों पर विस्ततृत चर्चा/विचार–विमर्शोपरान्त वर्ष 2020–21 की निम्नानुसार वार्षिक कार्ययोजना को संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गई :–

एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	कैट प्लान	कुल योग (लाख ₹ में)
12425	1000	5575	2000	3000	24000

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत CAF Rules 2018 के नियम 6(A) व 6(B) के अंतर्गत कैम्पा कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन, भत्ते एवं कैम्पा प्रबन्धन व्यय तथा अनुसूचित दरों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान एवं वन्य जीव प्रबन्धन हेतु **₹ 1000 लाख** की धनराशि प्राविधानित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु **कुल ₹ 25000.00 लाख** की धनराशि (कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज की ₹ 1000.00 लाख की धनराशि सहित) की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त घटकवार कार्ययोजना के अंतर्गत समिति के सदस्यों द्वारा निम्नानुसार गतिविधियों को संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया :–

PROPOSED APO 2020-21

(₹ in lakh)

S. No.	Component	Activity	Unit	Recommended by EC	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
SITE SPECIFIC WORKS		Committed Activities			
1	Compensatory Afforestation				
		Advance Soil Works	ha	3500.00	2625
		Plantation	ha	3000.00	1102
		Nursery and Maintenance	ha	10257.46	1848
	Sub-Total	SUB TOTAL		16757.46	5575
2	Catchment Area Treatment (CAT) Plan *				
		Tapovan Vishnugad HEP	LS	LS	3000
		Lata Tapovan HEP	LS	LS	
		Singoli Bhatwari HEP	LS	LS	
		Phatta Byung HEP	LS	LS	
		Srinagar HEP	LS	LS	
		lakhwar HEP	LS	LS	
		Vishungad Pipalkoti HEP	LS	LS	
		Vyasi HEP	LS	LS	
		CAT PMU	LS	LS	
	Sub-Total	SUB TOTAL			3000

* उपरोक्त में जिन कैट प्लानों में न्यूनतम निर्धारित सीमा (3–5 करोड़) के अंतर्गत धनराशि की मांग की गई है, उनको तदनुसार सम्मिलित करते हुए, शेष कैट प्लानों जिनमें अधिक धनराशि प्रस्तावित/मांग की गई है, उनमें अनुपातिक रूप से कुल प्राविधानित सीमा के अंतर्गत धनराशि का प्राविधान किया जाएगा।

S. No.	Component	Activity	Unit	Recommended by EC	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
3	Other 'Specified' Works				
		Road Side Plantations	Row Km/ Nos.	10379.46	551
		Gap Filling Plantations	ha/N os.	5049.47	47
		Dwarf Species Plantations	ha	151.98	90
		Nursery Raising/ Maintenance	Nos.	161372	155
		River Training Works [KOSI , DABKA , SONG]	LS	LS	1157
	Sub-Total	**SUB TOTAL**			**2000**
4	**NET PRESENT VALUE (NPV)**				
Core Activies (Min. 80% of NPV)					
		Assisted Natural Regeneration (ANR)	ha	400	200
		Artificial Regeneration / Plantations, Nurseries & Maintenance (Oak, Deodar, others)	ha	700	600
		Establishment of City Forest		LS	100
		Namami Gange (Plantation Works)		1900 ha	2000
		Establishment of High altitude nursery in Kedarnath Div.		LS	50
		Protection of Bugyals	ha	LS	400
		SUB TOTAL			**3350**
		Forest Fire Prevention & Control Operations			
		Fire Extinguishing Kits	LS	LS	100
		Fire Watchers	Nos.	6891	500
		Fire line Maintenance	KM	42.10	150
		Other Support (Crew Stations, Wireless Repeater base station	Nos.	50	50
		Sub-Total (Forest Fire)			**800**
		Soil and Water Conservation Works			
		Contour Trenches	ha	7000	200
		Chal Khal	No.	2200	250

S. No.	Component	Activity	Unit	Recommended by EC	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		Check Dams	No.	1100	200
		Water Bodies (0.10 - 2.50 lakh litres)	No.s	1650	400
		Rejuvenation of Dhara Naula, Maintenance of structures	Nos.	950	250
		Rejuvenation of Rivers (Kosi, Shipra and Khoh rivers)		LS	800
		Sub-Total (Soil cons)			**2100**
		Wildlife Management			
		Human Wildlife Conflict Mitigation in Kumbh			
		Radiocolloring and monitoring of problem Elephants		LS	70
		Protective Electric Fencing			100
		Wildlife Depradation and Mitigation squads			50
		Awareness			20
		Patrolling and Habitat Improvement			10
		Subtotal			**250**
		Construction & Maintenance of Rescue Center (Almora CS, Nainital, Haridwar and Corbett)	**Nos.**		**600**
		Fencing, Trenches and Wildboar Proof Wall			
		Solar Fencing	km	14	145
		Leopard Proof chain link Fencing (Rajaji TR)	m	1000	50
		Road Protection, Steel Wire elephant proof fencing (Rajaji TR)	m	1000	50
		Elephant Trenches	km	26	130
		Wild Boar Proof Stone Concrete Wall	km	15	150
		Sub-Total (Fencing/Wall)			**525**
		Habitat Improvement (Lantana Removal, Maintenance and seed sowing/grassland nursery)	**ha**		**300**
		Patrolling			

S. No.	Component	Activity	Unit	Recommended by EC	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		Long Distance Patrolling	LS	LS	150
		***Others (EDC/Village Protection Force) subject to operational details	LS	LS	300
		Sub-Total			**450**
		Strengthening of Wildlife Management			
		Estimation of Wildlife Populations	LS	LS	200
		Anti Poaching Activities	LS	LS	150
		Human Wildlife Conflict Resolution (Monkey Sterilization, cages,etc.)	LS	LS	200
		Equipments support for WL cons.	LS	LS	50
		Food for Wild animals at Rescue center (CS Almora, Rajaji TR, Nainital)	LS	3	50
		Maintenance of Water Holes	Nos.	75	150
		Wildlife Veterinary Care, post mortem etc.	LS	LS	50
		Veterinary Care Center Dehradun		LS	20
		Sub-Total			**870**
		Forestry Research		LS	250
		Strengthening of Van Panchayats	Nos.	4700 VPs	800
		Forest Fire Managament in Van Panchayat			200
		Development of Special Forest Protection Group (SFPG)		120	100
		Non Conventional and Renewable Energy		150	150
		Sub-Total			**1500**
	Sub-Total	**80.04 % of Total NPV**			**10745**
Rest of the Activities (upto 20% of NPV)					
		Training and Capacity Building		LS	100
		Strengthening of Training Institutes and capacity building, FTA			50
		DGPS Survey and Demarcation	ha/Nos.	4500	200

S. No.	Component	Activity	Unit	Recommended by EC	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		Construction of Forest Guard Chowki, Patrolling shelters & Maintenance	Nos.	100	1000
		Modernization of Forest Barrier	Nos.	10	100
		Forest Roads construction & maintenance	km	1250	900
		Communication and Information Technology	LS	LS	100
		Monitoring and Evaluation	LS	LS	150
		Public Awareness and Publicity Extension	LS	LS	80
	Sub-Total	**(19.96% of Total NPV)**			**2680**
	Grand Total				**24000**

Interest Component

S. No	Head	Unit	Fin
1	CAMPA Management (Salaries & allowances of regular staff & wages of contractual staff).	LS	300
2	Management of Office establisihment (Vehicle running & maintenance expenses, printing & stationary, postage & telephone expenses including internet, office maintenance expences, hospitality expences etc. & purchase of office equipments etc.)	LS	150
3	To offset the incremental cost of CA at the increased wage rates	LS	200
4	To offset the incremental cost of CAT Plan at the increased wage rates	LS	150
5	To offset the incremental cost of Wildlife management plan at the increased wage rates	LS	150
6	Other Contingencies for management of CAMPA Office	LS	50
	Total	LS	**1000**
	GRAND TOTAL (APO 2020-21)		**25000**

कार्यसूची कार्यकारी समिति 3.6: उत्तराखण्ड कैम्पा के वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 की लेखापरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को उत्तराखण्ड कैम्पा के वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त लेखापरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदनों को मा0 उत्तराखण्ड विधान सभा के सत्र में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य भी महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा पूर्ण किया जा चुका है।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 3.7: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:

- पूर्व वर्षों की तुलना में इस वर्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को कैम्पा कार्यों के सम्पादन हेतु समयान्तर्गत धनराशि अवमुक्त की गई है, उसके उपरान्त भी अभी तक क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यों को सम्पादित नहीं किया है अथवा सम्पादित कार्यों की एम0आई0एस0 प्रविष्टि पूर्ण नहीं की गई है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त क्रियान्व्यन अभिकरणों को यथाशीघ्र सम्पादित कार्यों की एम0आई0एस0 प्रविष्टि सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- अधिकांश कार्य कुमांऊ एवं गढ़वाल जोन से सम्बन्धित होने तथा विभाग की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय बजट संरचना तैयार किए जाने में अपर प्रमुख वन संरक्षक/प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन की भूमिका के दृष्टिगत **अध्यक्ष–कार्यकारी समिति** द्वारा मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक–कुमांऊ तथा प्रमुख वन संरक्षक–नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन को कैम्पा की कार्यकारी समिति में स्थायी रूप से विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये।

26/12/19

(डॉ॰ समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

अनुमोदित

26/12/19

(जय राज)
अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

[illegible]

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 994 / का0स0 (3) दिनांक, देहरादून, दिसम्बर 27 2019

प्रतिलिपि :– कार्यकारी समिति के निम्न मा0 सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
2. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
5. निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून।
6. अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण/वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/राजस्व/कृषि/जनजाति विकास/पंचायती राज/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
7. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. श्री महेन्द्र कुंवर, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. श्री संतोष रावत, उज्जवला, कोटद्वार मालिनी मार्केट, कोटद्वार, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

27/12/19

(डॉ॰ समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 994 (1)/ का0स0(3) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

27/12/19

(डॉ॰ समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 994 (2)/ का0स0(3) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।

27/12/19

(डॉ॰ समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।